न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/539

1. नीलम पत्नी श्री विमल पुत्री श्री प्रभूलाल कुशवाह निवासी अजमेर ।
2. उषा पत्नी श्री महेश सिंह पुत्री श्री प्रभूलाल कुशवाह निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
3. रेखा पत्नी श्री महावीर पुत्री श्री प्रभूलाल कुशवाह निवासी रंगबाडी कोटा ।
4. महेन्द्र सिंह आत्मज श्री प्रभूलाल जाति कुशवाह ।
5. लोकेन्द्र सिंह आत्ज श्री प्रभूलाल कुशवाह ।
6. निशा पुत्री श्री प्रभूलाल निवासी –6 बी –24 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र श्री बजरंग लाल कुशवाह निवासी खेडारसूलपुर (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती कैलाश बाई पत्नी स्वर्गीय श्री प्रभूलाल निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा हाल निवासी 6 – बी– 24 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा ।
2. चौथमल पुत्र श्री बजरंग लाल कुशवाहा निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. मुकेश पुत्र श्री बजरंग लाल जी कुशवाहा निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. मोहनी बाई
5. सोहनी बाई
6. कान्ति बाई
7. शांति बाई पुत्रियॉ श्री बजरंग लाल जी कुशवाहा निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. देवबाई बेवा श्री बजरंग लाल जी कुशवाहा निवासी खेडारसूलपुर ।
9. भरोसी बाई बेवा श्री लक्ष्मीनारायण जाति कुशवाह निवासी खेडारसूलपुर ।
10. सेहन लाल पुत्र श्री रामकिशन जाति कुशवाहा निवासी खेडारसूलपुर ।
11. सुरजां पुत्री श्री रामकिशन जाति कुशवाहा खेडा रसूलपुर ।
12. छोटी पुत्री रामकिशन जी कुशवाहा निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. सुशीला
14. संजना पुत्रियॉ श्री रामकिशन जी कुशवाहा निवासी ग्राम खेडारसूलपुर ।
15. भीमराज
16. दिलीप पिसरान श्री मोहन लाल जाति कुशवाहा निवासी ग्राम खेडारसूलपुर ।
17. संजू
18. माया पुत्रियॉ श्री मोहनलाल जाति कुशवाहा निवासीगण ग्राम खेडारसूलपुर ।
19. रूकमणी बाई बेवा श्री मोहन लाल जाति कुशवाहा ।
20. महावीर
21. गुलाब चन्द

22. जगदीश पिसरान श्री रतन लाल जाति ुशिवाहा निवासीगण ग्राम खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
23. ज्याना बाई पुत्री श्री रतन लाल जाति कुशवाहा निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
24. राजू
25. बाबू पिसरान श्री रामकल्याण जाति कुशवाहा निवासीगण ग्राम खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
26. कमला
27. सतोष
28. सुगन
29. चन्द्रकली पुत्रियॉ श्री रामकल्याण जी जाति कुशवाहा निवासीगण ग्राम खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
30. कैलाशबाई बेवा श्री रामकल्याण जाति कुशवाह निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
31. गायत्री पत्नी श्री रामकल्याण जाति कुशवाहा निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
32. लीला बाई पत्नी श्री हीरालाल कुशवाहा निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
33. दीपक पुत्र श्री हीरालाल जी कुशवाह निवासी खेडा रसूलपुर ।
34. हेमराज आत्मज चतुर्भुज जी कुशवाहा निवासी खेडा रसूलपुर ।
35. ओम प्रकाश आत्मज श्री चतुर्भुज जी कुशवाहा निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
36. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 3, 5 एवं 8 की ओर से ।
3. श्री दिलीप शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 9 की ओर से ।
4. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 31 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा की कुल किता 20 की रकबा 9.51 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि आराजी पूर्व में ग्यारसीराम आत्मज श्री नारायण हिस्सा 1/3, मांगीलाल आत्मज श्री लक्ष्मण जी हिस्सा 1/3 तथा रामकल्याण, बजरंग लाल , चतुर्भुज पिसरान श्री कंवरिया हिस्सा

1/3 दर्ज रिकॉर्ड है । इसी प्रकार ग्राम खेडा की कुल 05 किता की 4.30 हैक्टर भूमि स्थित है जिसका नम्बर 173 की 3.03 हैक्टर भूमि पृथक से स्थित है । दोनों ग्रामों की भूमियाँ पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमियाँ हैं । कंवरिया जी के पुत्र बजरंगलाल जी प्रार्थीगण के दादा थे तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् उक्त वर्णित भूमि में उनके हिस्से की भूमि उनके उत्तराधिकारियों अप्रार्थीगण क्रम 1 से 9 के खाते में दर्ज कर दी गई । उक्त भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से ही स्वत्व निहित है प्रार्थीगण उक्त भूमि पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । अप्रार्थीगण क्रम 1 ने रिलीजडीड निष्पादित करने के तथ्य को प्रार्थीगण से छुपाया तथा जानकारी में नहीं आने दिया । अप्रार्थी क्रम 3 ने दिनांक 20.05.2015 को प्रार्थीगण के कब्जे में तथा काश्त में हस्तक्षेप किया तथा बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास किया जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी क्रम 3 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ग्राम जालखेडा एवं ग्राम खेडा की अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्से की तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार से ताफैसला वाद हस्तक्षेप अथवा दखलन्दाजी नहीं करे । ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.10.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.10.2015 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट प्रभूलाल के वारिस हैं । उक्त भूमि प्रभूलाल की पैतृक सम्पत्ति है उक्त भूमि प्रभूलाल को उनके पिता बजरंग लाल से प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थीगण अपीलान्ट का जन्म से ही हक अधिकार निहित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण अपीलान्ट को विरासत में प्राप्त हुई है तो उसमें अस्थायी निषेधाज्ञा क्यों जारी नहीं की जा सकती । प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का प्रस्तुत किया है जिसमें वादग्रस्त आराजी कृषि से अकृषि में परिवर्तित न हो और उक्त भूमि का बेचान न हो केवल यही अनुतोष चाहा था क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में वाद विचाराधीन है । अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में स्वीकार किया है कि उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को कृषि भूमि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करे तथा रहन, बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे ।

रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रभूलाल के खातेदारी की भूमि थी जिन्होंने उक्त भूमि रेस्पोडेन्टगण को रिलीज डीड से हमें दी है । वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में रेस्पोडेन्टगण काबिज काश्त है और रिकॉर्डेड खातेदार हैं । प्रस्तुत प्रकरण में प्रभूलाल ने अपने बच्चों से दावा प्रस्तुत करवा दिया जो विचाराधीन है । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में कब्जे की अवधारणा होती है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कभी भी कब्जा नहीं रहा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2015 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2013 आर. आर.टी. (2) पेज 832 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर साबित है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में अपना हक हिस्सा होना कथन करते हैं । यदि दौराने वाद उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण आदि कर दी गई तो अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं होगी ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी अपीलान्ट के पक्ष में है ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में हैं । चूँकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है यदि दौराने वाद उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा रहन, बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दी तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ऐसी स्थिति में हम रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2015 निरस्त किया जाता है । अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य किसी व्यक्ति को अन्तरण आदि नहीं करे तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करे ।

12. निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा